>

Title: Need to provide due share of water of river Yamuna to Bharatpur district, Rajasthan.

श्री रतन सिंह (भरतपुर)ः नियम 377 के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्यों के मध्य हुए अनुबंधों के अनुरूप भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी यमुना नदी से दिये जाने का निर्णय हुआ था। अभी तक लगभग 250 क्यूसेक पानी ही गुड़गांवा नहर एवं राजस्थान फीडर से मिल रहा है, जो कि 1281 क्यूसेक का 19.5 प्रतिशत ही है। पूर्व निर्मित गुड़गांवा नहर व भरतपुर फीडर की आवश्यक क्षमता 800 क्यूसेक है, परन्तु 250 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। गुड़गांवा नहर से भरतपुर के लिए 800 क्यूसेक पानी दिलवाया जाये एवं शेष 481 क्यूसेक पानी भरतपुर को उपलब्ध कराने के लिए दूसरी नहर की व्यवस्था की जाये। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग संबंधित राज्यों के साथ शीघ्र करवाया जाये। इस पानी में से नहर द्वारा लिफ्ट सिस्टम से सीकरी बांध में भी पानी डाला जाये, तत्पश्चात सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया जाये।

सरकार से अनुरोध है कि भरतपुर जिले को निर्णय के अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाये एवं इसके लिए एमओयू संबंधित राज्यों के बीच किया जाये जिससे भरतपुर में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके।